न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 34/2019

1. श्रवण पुत्र श्री अम्बा जाति कीर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. छैल बिहारी पुत्र श्री मूलचन्द
2. काली पत्नि श्री दिनेश कीर
3. टीकम पुत्र श्री छैल बिहारी
4. पिंकी पत्नि श्री टीकम समस्त जाति कीर निवासीगण बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

5. सोहनी पत्नि श्री रामधन जाट जाति जाट निवासी आनन्दीपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

प्रफोर्मा अप्रार्थी

उपस्थित पक्षकारः– श्री सांवरलाल चौधरी (अधिवक्ता प्रार्थी)
श्री महेश चन्द पाण्डे(अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.12.2019

निर्णय अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवदेन किया हैं कि ग्राम बडली पटवार हल्का बडली भू. अभिलेख क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा नं. 6314/5531 रकबा 0.85 हैं0 भूमियां प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी 79/85 हिस्सा भूमि पर अनवरत एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रही है। उक्त भूमियों पर प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 5 के अतिरिक्त किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं हैं। लेकिन उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 नाजायज व अवैध रूप से प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग, उपभोग की आराजी से बेदखल करने पर उतारू हो रहें हैं एवं प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात को खूर्द–बुर्द करना चाहते हैं अतः प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया । अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द पाण्डे ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम**(प्रतिवाद पत्र)** पेश कर बताया कि विवादित आराजीयात में अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्स व अधिकार नहीं हैं लेकिन विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजीयात खसरा सं. 5531 रकबा 0.32 भूमि अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त व स्वामित्व की भूमि है जिस पर प्रार्थी स्वयं अनाधिकृत अधिकार करना चाह रहा हैं। जिस हेतु जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रतिवाद पत्र के प्रत्युत्तर में जवाब पत्र प्रस्तुत कर कथन किए कि विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं. 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं जिसके साक्ष्य के रूप में राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बडली जमाबंदी संवत 2071–2074 पत्रावली में संलग्न हैं। जिस पर प्रार्थी एवं प्रफोर्मा

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी सं. 5 के अतिरिक्त किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार एवं सरोकार नहीं होना स्पष्ट है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं आधिपत्य में अनवरत चली आ रही है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि खसरा नं. 5531 रकबा 0.32 के संबंध में जो कथन किए गए है वो सरासंर मिथ्या एवं मनगढंत हैं एवं खसरा नं. 5531 भूमि का विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से कोई सरोकार नहीं हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद पत्र को झूठा एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने पर अस्वीकार किए जाने का अनुरोध किया

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात स्वयं की एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 5 की संयुक्त खातेदारी आराजीयात होने एवं अप्रार्थीगण का विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होने संबंधी प्रार्थना पत्र, जवाब प्रतिवाद पत्र अनुसार कथन दोहराते हुए स्वयं की कब्जेकाश्त स्वामित्व की खातेदारी आराजीयात पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित ठहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का पुरजोर अनुरोध किया।

वितर्क में अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कथन किये कि विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 5 की संयुक्त खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए अन्य भूमि खसरा नं. 5531 के संबंध में कथन किए जिनका विचाराधीन प्रार्थना पत्र से कोई सरोकार नहीं है।

मैनें उभयपक्षान की बहस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम बडली पटवार हल्का बडली भूअभिलेख निरीक्षक चापानेरी स्थित विवादित आराजीयात खसरा नं. 6314/5531 रकबा 0.85 हैं0 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 982 अनुसार प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना स्पष्ट प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:आदेश:–

प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जो ग्राम बडली पटवार हल्का बडली भूअभिलेख निरीक्षक चापानेरी स्थित विवादित आराजीयात खसरा नं. 6314/5531 रकबा 0.85 हैं0 बाबत् लाया गया हैं उसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर मौके की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक कायम रखेंगें। साथ ही प्रार्थी की कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी एवं बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें एवं न ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से बाधा उत्पन्न करवायेंगें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 05.12.2019 को सुनाया गया।

(सज्जन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner